बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भ/भू–सम्पदा–09–02–(अराजपत्रित)–01/2024– 18 पटना, दिनांक– 30/01/2026

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित अराजपत्रित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास आदेय किराया एवं अनुमान्य करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आंवटित किया जाता है :–

क्र0	Reg. No.	नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास
1.	**BN7956**	**श्रीमती पुतुल कुमारी**, माली	बिहार विधान परिषद् सचिवालय	A5/402, गर्दनीबाग
2.	**BN7951**	**श्रीमती नेहा कुमारी**, परिचारी	बिहार विधान परिषद् सचिवालय	A5/203, गर्दनीबाग

2. यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मी को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।
3. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
4. नये आवंटी कर्मी संबंधित कार्यपालक अभियंता से संपर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
5. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
6. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
7. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

क्र0	आवास का टाईप	मसिक मानक किराया (रूपया में)	मासिक मेंटनेन्स चार्ज (रूपया में)	प्रति आवास कुल मासिक कटौती (रूपया में)
1.	ए–टाईप आवास, गर्दनीबाग	275	564	839

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

8. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवासी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली,1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

9. आवास परिवर्तन हेतु कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः–भ/भू–सम्पदा–09–02(अराजपत्रित)–01/2024 1051(अ) पटना, दिनांकः– 30/01/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/सभी संबंधित आवंटी कर्मचारी आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/26

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।